न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 9 / 2025
GCMS No.- 2025/15

प्रार्थीगण :–

1. देवीसिंह देवडा पुत्र स्वर्गीय श्री जोगसिंह देवडा, जाति राजपुत, आयु वयस्क, पेशा खेती, निवासी काकेन्द्रा, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान।
2. हीरसिंह देवडा पुत्र स्वर्गीय श्री जोगसिंह देवडा, जाति राजपुत, आयु वयस्क, पेशा खेती, निवासी काकेन्द्रा, तहसील व जिला सिरोही, राजस्थान।

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सिरोही, तहसील व जिला सिरोही (राज.)।

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया।
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही।

–: राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: आदेश :– **दिनांक 09.02.2026**

प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14.01.2025 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान् के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की निम्न आराजी मौजा काकेन्द्रा, पटवार हल्का सनपुर, भू अभिलेख निरीक्षक मेरमाण्डवाडा, तहसील सिरोही में आई हुई है :–

(अ)

क्र.सं.	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
1.	881	1.8600 हैक्टेयर	पडत 11
2.	991	1.2400 हैक्टेयर	पडत 11
कुल किता 2 कुल रकबा 3.1000 हैक्टेयर			

(ब)

क्र.सं.	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
1.	288 / 1	1.7500 हैक्टेयर	बारानी 2
2.	61 / 1	1.3400 हैक्टेयर	बारानी 3
3.	75	0.6500 हैक्टेयर	बारानी 3
4.	76	0.8100 हैक्टेयर	बारानी 3
5.	870 / 1	1.6700 हैक्टेयर	बा. उत्तम ए.
कुल किता 5 कुल रकबा 6.2200 हैक्टेयर			

देवीसिंह बनाम स्टेट
रा.प्रा.प.संख्या 9/2025
GCMS No.- 2025/15

प्रार्थीगण के उक्त खसरा की आराजी से लगती हुई अन्य खातेदारान् के खातेदारी की कृषि आराजी आई हुई हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के चारों ओर सीमा चिन्ह नहीं होने से मौके पर प्रार्थीगण व पडौसी खातेदार के मध्य आराजी की सीमा को लेकर हमेशा विवाद की स्थिती रहती है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी का सीमाज्ञान होने के बाद भी चारों ओर मौके पर सीमाचिन्ह नहीं होने से पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर अवैद्य रूप से कब्जा करने का प्रयास करते है जिससे प्रार्थीगण को परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजी की सीमा तय कर पत्थरगढी करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया था, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया है लेकिन विधि अनुसार पत्थरगढी नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा सीमा चिन्ह अंकित कर पत्थरगढी किए जाने का निवेदन करने पर श्रीमान न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लाने पर सीमा पर पत्थरगढी करने हेतु कहा गया, जिस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का कारण बना हैं। प्रार्थीगण आराजी का खातेदार कृषक है। पत्थरगढी होने से प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सकेगा तथा अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त कर सकेगा। प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सीमा का ज्ञान करने का तथा सीमा को चिन्हित कर पत्थरगढी करवाए जाने का पुरा अधिकार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के उपर्युक्त वर्णित आराजी की नपाई तथा उसकी सीमा पर सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) अंकित किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ मौजा काकेन्द्रा, पटवार हल्का सनपुर के जमाबंदी की प्रति, नक्शा तथा मौका फर्द का अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्ट्यां सहमत होने से दिनांक 14–01–2025 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। उक्त नोटिस अप्रार्थी को तामिल होने के पश्चात अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जरिए पत्र क्रमांक /रीडर/2025/604 दिनांक 09–07–2025 के द्वारा प्रस्तुत जवाब को पत्रावली में दिनांक 16–07–2025 को शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी स्टेट ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान् की संयुक्त खातेदारी कृषि आराजी मौजा काकेन्द्रा, पटवार हल्का सनपुर में स्थित है, जिसकी विगत निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या 262

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
881	1.8600 हैक्टेयर	पडत 11	1.86
991	1.2400 हैक्टेयर	पडत 11	1.24
कुल किता 2 कुल रकबा 3.1000 हैक्टेयर कुल लगान 3.10			

देवीसिंह बनाम स्टेट
रा.प्रा.प.संख्या 9/2025
GCMS No.- 2025/15

खाता संख्या 53

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
288/1	1.7500 हेक्टेयर	बारानी 2	3.50
61/1	1.3400 हैक्टेयर	बारानी 3	1.34
75	0.6500 हैक्टेयर	बारानी 3	0.65
76	0.8100 हैक्टेयर	बारानी 3	0.81
870/1	1.6700 हैक्टेयर	बा. उत्तम ए.	6.68
कुल किता 5 कुल रकबा 6.2200 हैक्टेयर कुल लगान 12.98			

प्रार्थीगण के उपर्युक्त खसरा संख्या 881, 991, 61/1, 75, 76 की तहसील कार्यालय के आदेश दिनांक 28/06/2024 की पालना में तत्कालीन पटवारी हल्का सनपुर द्वारा दिनांक 01/08/2024 को सीमाज्ञान (मौका फर्द की प्रति संलग्न) करवाया हुआ है।

विचारण प्रकरण में वकील प्रार्थीगण तथा पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर इस न्यायालय में वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस करने से मेरे द्वारा अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार ने स्टेट के जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया।

हमने विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात् व् तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब का अवलोकन तथा वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा काकेन्द्रा, पटवार हल्का सनपुर, भू. अभिलेख निरीक्षक मेरमाण्डवाडा, तहसील व जिला सिरोही के खाता संख्या 53 खसरा संख्या 288/1, 61/1, 75, 76 व 870/1 कुल किता 5 कुल रकबा 6.2200 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 262 खसरा संख्या 881 व 991 कुल किता 2 कुल रकबा 3.1000 हैक्टेयर की आराजी की सीमा पर सीमाचिन्ह पुराने समय से मौके पर नहीं है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु भारी परेशानी का सामना करना पड रहा तथा भविष्य में ओर भी कानूनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थीगण से उक्त भूमि के सीमाज्ञान का निर्धारित फीस राजकोष मे जमा कराने के उपरान्त प्रार्थीगण के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के लिये नायब तहसीलदार, कालन्द्री की अध्यक्षता मे पटवारी सनपुर व भू.अ.नि. मेरमांडवाडा की कमेटी का गठन कर प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी कृषि

देवीसिंह बनाम स्टेट
रा.प्रा.प.संख्या 9 / 2025
GCMS No.- 2025/15

भूमि की अविवादित हिस्से तक पत्थरगढी करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 09–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)